साम्प्रदायिक सौहार्द

पर संशोधित दिशा-निर्देश

(जून 2008)

गृह मंत्रालय

भारत सरकार

विषय सूची

1.	प्रस्तावना	1
2.	निवारणात्मक उपाय	2
3.	प्रशासनिक उपाय	6
4.	कार्मिक नीति	14
5.	अतिविशिष्टि व्यक्ति / गणमान्य हस्तियों का दौरा	16
6.	पणधारियों की भागीदारी	17
7.	प्रेस/मीडिया तथा जागरूकता	18
8.	प्रवर्तन कार्य तथा मामलों की मॉनीटरिंग	19
9.	राहत एवं पुनर्वास	21

1. प्रस्तावना

साम्प्रदायिक सौहार्द को बनाए रखना और साम्प्रदायिक अशांति/दंगों को रोकना/नियंत्रित करना तथा ऐसी किसी प्रकार की अशांति के उत्पन्न होने की स्थिति में उसे नियंत्रित करने की कार्रवाई करना तथा प्रभावित लोगों को सुरक्षा और राहत मुहैया कराना राज्य सरकारों का प्राथमिक उत्तरदायित्व है ।

2. निवारणात्मक उपाय

2.1 साम्प्रदायिक दंगों की रोकथाम करना इन्हें नियंत्रित करने से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। इस संदर्भ में जिला प्रशासन को नियमित आधार पर जिले की साम्प्रदायिक स्थिति का सावधानीपूर्वक आंकलन करना चाहिए और जिले का एक चित्रणात्मक विवरण तैयार करना चाहिए । उन्हें उन क्षेत्रों, जो अन्य बातों के साथ-साथ साम्प्रदायिक संवेदनशीलता और तनाव के प्रति अधिक संवेदनशील हैं, की निम्नलिखित परिपेक्ष्य में पहचान करनी चाहिए और उन्हें विनिर्दिष्ट करना चाहिए :

(क) जनसांख्यिकी विवरण;

(ख) ऐसे ढांचे, स्मारकों आदि की मौजूदगी जिसके आस-पास झगड़ा/विवादों के उत्पन्न होने की संभावना हो;

(ग) भूमि संबंधी कोई अन्य विवाद या कोई अन्य मुद्दे जिससे साम्प्रदायिक झगड़ा/तनाव उत्पन्न होने की संभावना हो;

(घ) जुलूस आदि निकालने के वे मार्ग जिनके कारण विगत में विवाद या तनाव पैदा हुआ हो या भविष्य में भी ऐसा होने की संभावना हो;

(ड.) विगत में हुए विवाद, लड़ाई-झगड़े और दंगों का इतिहास और

(च) धर्म परिवर्तन या पुन: पूर्व धर्म में वापसी का इतिहास आदि ।

इनके या किसी अन्य प्रासंगिक घटकों के आधार पर क्षेत्र विशेष की पहचान संवेदनशील/अति संवेदनशील के रूप में की जानी चाहिए और इससे संबंधित स्थिति की आवधिक रूप से समीक्षा की जानी चाहिए और उसे अद्यतन रखना चाहिए ।

2.2 उपर्युक्त बातों का ब्योरा प्रत्येक संबंधित पुलिस स्टेशन में भी सुव्यवस्थित तरीके से रखा जाना चाहिए । थानाध्यक्ष एवं पुलिस स्टेशन स्तर पर अन्य वरिष्ठ कर्मचारियों को जनसंपर्क बढ़ाने एवं जनता तथा सम्प्रदाय के नेताओं के साथ तालमेल बनाए रखने के लिए आवाधिक रूप से क्षेत्र का दौरा करने के साथ-साथ ऐसे क्षेत्रों की स्थिति पर कड़ी निगरानी रखनी चाहिए ।

2.3 आवश्यक प्रशासनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए दंगा संभावित क्षेत्रों में साम्प्रदायिक रूप से संवेदनशील स्थानों की पहचान की जानी चाहिए। सभी संवेदनशील एवं गड़बड़ी वाले क्षेत्रों में पुलिस स्टेशन/चौकियाँ स्थापित की जानी चाहिए । इन क्षेत्रों के लिए अपेक्षित जनशक्ति का आकलन वास्तविक आधार पर किया जाना चाहिए । यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि सभी रिक्त पद भर दिए जाएं और कर्मचारी तैनात हों । उन्हें पर्याप्त कार्मिक, हथियार, संचार सुविधाएं, वीडियोग्राफी के साधन, वाहन आदि उपलब्ध कराए जाने चाहिए और इनकी सतत पुनरीक्षा की जानी चाहिए ।

2.4 ऊपर वर्णित संवेदनशील/अति-संवेदनशील क्षेत्रों के संदर्भ में जिला प्रशासन को उन संभावित घटनाओं का पूर्वानुमान लगाना चाहिए जो कतिपय अवसरों या विभिन्न प्रकार की परिस्थिति में घटित हो सकती हैं और इनसे निपटने के लिए व्यापक मानक कार्रवाई प्रक्रिया (एस ओ पी) एवं आकस्मिक कार्य योजना तैयार करनी चाहिए ताकि उत्तेजक स्थिति/दंगों आदि को पहले ही निष्क्रय किया जा सके/उनकी रोकथाम की जा सके ।

2.5 आसूचना एवं जानकारी एकत्रित करने के संबंध में एक कार्यप्रणाली विकसित करने और एक कार्रवाई तंत्र के साथ इन्हें समुचित तरीके से एकीकृत करने पर विशेष ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है । प्रशासन द्वारा प्राथमिक स्तर से प्राप्त आसूचना जानकारी का इस्तेमाल प्रभावी तरीके से किया जाना चाहिए । जिला प्रशासन द्वारा आसूचना के स्वतंत्र स्रोत विकसित किए जाने की भी आवश्यकता है क्योंकि ऐसे स्रोत अत्यधिक विश्वसनीय होंगे । यह कार्य समुदाय से सम्पर्क एवं स्रोत स्थापित करके, परम्परागत 'बीट कॉस्टेबल' प्रणाली को ज्यादा से ज्यादा सक्रिय बनाकर और अति-संवेदनशील/संवेदनशील क्षेत्रों/पुलिस स्टेशनों में आसूचना कार्मिकों की तैनाती करके किया जा सकता है । ऐसे लोगों को समुचित प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए और पूर्व निर्देशित किया जाना चाहिए और यदि आवश्यक हो तो उन्हें समुचित प्रोत्साहन भी दिए जा सकते हैं ।

2.6 अति-संवेदनशील/संवेदनशील क्षेत्रों में स्थित प्रत्येक पुलिस स्टेशन द्वारा उप मंडल/जिला स्तर को एक साप्ताहिक/पाक्षिक आसूचना/स्थिति रिपोर्ट भेजी जानी चाहिए और जिला मजिस्ट्रेट और पुलिस अधीक्षक स्तर पर इसकी मासिक रूप से पुनरीक्षा की जानी चाहिए । ऐसी पुनरीक्षा के दौरान उपर्युक्त दिशा-निर्देशों के अनुपालन की स्थिति पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए । इसके अलावा, पुलिस स्टेशनों व उप मंडलीय कार्यालयों के निरीक्षण के दौरान भी इस कार्य को किया जाना चाहिए ।

2.7 जिला और अन्य स्तरों पर कार्यरत वरिष्ठ पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों को सामान्य स्थिति के दौरान भी साम्प्रदायिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों का समय-समय पर दौरा करना चाहिए और सम्प्रदाय के जिम्मेदार नेताओं के साथ ताल-मेल विकसित करने की दृष्टि से उनके साथ सम्पर्क बनाए रखना चाहिए ।

2.8 निश्चित लक्ष्य वाले संगठनों की ऐसी गतिविधियां जो साम्प्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ सकती हैं, पर सावधानीपूर्वक सतत निगरानी रखते हुए उनकी जांच करनी चाहिए और उनकी गतिविधियों का रिकार्ड रखना चाहिए । यदि ऐसा कोई संगठन विधि-विरूद्ध क्रिया कलाप (निवारण) अधिनियम 1967 में परिभाषित विधि विरूद्ध गतिविधियों में संलिप्त पाया जाता है तो अधिनियम के अन्तर्गत उसे विधि-विरूद्ध एसोशिएसन घोषित करने की कार्रवाई और अन्य परिणामी कार्रवाई की जानी चाहिए । इन संगठनों की निगरानी आवधिक अन्तराल पर जिला/पुलिस स्टेशन स्तर पर की जानी चाहिए ।

3. प्रशासनिक उपाय

3.1 राज्य में साम्प्रदायिक स्थिति की समीक्षा करने के लिए तिमाही में कम से कम एक बार मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय एकता समिति की राज्य स्तरीय बैठकें आयोजित की जाएं।

3.2 साम्प्रदायिक स्थिति एवं इससे संबंधित मामलों की जानकारी के एक क्लियरिंग हाऊस के रूप में कार्य करने के लिए राज्य सरकार के स्तर पर एक नोडल प्रकोष्ठ की स्थापना की जाए । यह विभिन्न प्रकार की साम्प्रदायिक घटनाओं से संबंधित ऐसे डाटाबेस रखेगा जिनमें नुकसान, दर्ज मामलों की सूची और अभियोजन की प्रगति आदि का ब्योरा हो । यह प्रकोष्ठ, उपयुक्त निवारणात्मक योजनाएं तैयार करने की दृष्टि से राज्य में होने वाली साम्प्रदायिक अशांति के नमूनों का अध्ययन भी करेगा । इसके अतिरिक्त, यह प्रकोष्ठ मुआवजा, राहत और पुनर्वास आदि से संबंधित मुद्दों पर अन्य विभागों/एजेन्सियों के साथ समन्वय स्थापित करेगा ।

3.3 राज्य और जिला स्तरों पर एक आपदा प्रबंधन योजना होनी चाहिए जिसमें आपदा और उसके फलस्वरूप घटित होने वाली घटनाओं के उन संभावित कारणों जो साम्प्रदायिक अशांति की वजह से हो सकती हैं, आपदा उत्पन्न होने की स्थिति में विभिन्न एजेन्सियों की विशेष भूमिका और दायित्वों को उपयोग किए जाने वाले संसाधनों और ऐसी स्थितियों से निपटने के लिए अपनाई जाने वाली कार्य प्रणाली का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाना चाहिए।

3.4 क्षेत्र स्तर पर, पुलिस और स्थानीय आसूचना एजेन्सियां/संस्थाएं उन तत्वों को बेहतर तरीके से जानती हैं जिनका प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूप से साम्प्रदायिक फूट फैलाने का रिकार्ड है, या जो साम्प्रदायिक फूट फैला सकते हैं। सभी पुलिस स्टेशनों पर ऐसे तत्वों की एक सूची सुलभ होनी चाहिए। त्यौहार या अन्य किसी अवसर के दौरान, जब साम्प्रदायिक तनाव या साम्प्रदायिक स्वरूप की घटनाओं की आशंका होती है तो ऐसे तत्वों को अलग-थलग करने के साथ-साथ जहाँ कहीं आवश्यक हो, निवाराणात्मक कार्रवाई करने के लिए तत्काल कदम उठाए जाने चाहिए।

3.5 साम्प्रदायिक रूप से संवेदनशील नगरों एवं क्षेत्रों में, शांति समितियों/कौमी एकता समितियों का गठन किया जाना चाहिए जिनमें प्रख्यात नागरिक, सामुदायिक नेता और राजनीतिक पार्टियों, प्रतिष्ठित संगठन के प्रतिनिधि आदि को रखा जाना चाहिए और पुलिस स्टेशन, उप मंडल और जिला स्तरों पर संबंधित अधिकारियों द्वारा उनके साथ आवधिक रूप से बैठकें की जानी चाहिए । क्षेत्र के प्रख्यात व्यक्ति/शांति समिति/राष्ट्रीय एकता समिति के सदस्य और स्वयंसेवी संगठनों को यदि उन क्षेत्रों की स्थिति का जायजा लेने के कार्य में शामिल किया जाए, जिनमें उनका प्रभाव है, तो वे साम्प्रदायिक सौहार्द बनाए रखने और साम्प्रदायिक फूट को रोकने में महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं । महिलाएं जो साम्प्रदायिक तनाव/दंगों के संदर्भ में अत्यधिक सुभेद्य समूह हैं, साम्प्रदायिक तनाव को शांत करने और दंगों को रोकने में प्रभावी भूमिका निभा सकती हैं । शान्ति समितियों में उनका उचित प्रतिनिधित्व दंगों को नियंत्रित करने में मददगार हो सकता है ।

3.6 किसी घटना या साम्प्रदायिक तनाव की आशंका की दशा में, ऐसी स्थिति को शांत करने के उद्देश्य से, अन्य उपायों के साथ-साथ, शान्ति समितियों को यथाशीघ्र सक्रिय किया जाना चाहिए ।

3.7 विभिन्न प्रकार के त्यौहारों को मनाने के संबंध में विभिन्न समुदायों के नेताओं के साथ परामर्श करके एक आचार संहिता तैयार की जानी चाहिए जिसका व्यापक प्रचार किया जाना चाहिए । ऐसी संहिता की विषयवस्तु के बारे में लोगों को जानकारी देने के कार्य में शांति समिति के सदस्यों को शामिल किया जाना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि ये त्यौहार, किसी व्यक्ति या समाज के किसी वर्ग को उद्विग्न किए बगैर सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाए जाएं । त्यौहारों को उचित और शांतिपूर्ण तरीके से मानने के लिए मोहल्ला समितियां गठित की जानी चाहिए जिसमें सभी समुदायों के सदस्य शामिल हों ।

3.8 लाउड स्पीकरों का अनियमित प्रयोग, विभिन्न समूह के लोगों के बीच अकसर जुनून पैदा करने और हिंसात्मक प्रतिक्रियां उत्पन्न करने का एक कारण रहा है । लाउड स्पीकरों के प्रयोग की अनुमति देते समय लाउड स्पीकरों के प्रयोग को नियमित करने के लिए बनाए गए विभिन्न विधानों के तहत किए गए विभिन्न विधिक प्रावधानों और लगाई गई किसी विशिष्ट शर्त का सख्ती से अनुपालन/प्रवर्तन के अलावा इस बात की सावधानी बरती जानी चाहिए कि लाउड स्पीकरों के प्रयोग की अनुमति आमतौर पर 11 बजे अपराह्न से 6 बजे पूर्वाह्न के बीच के समय के लिए नहीं दी जानी चाहिए । पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 के तहत बनाई गई ध्वनि प्रदूषण (विनियमन एवं नियंत्रण) नियमावली, 2000 के प्रावधान, जो पूजा स्थलों सहित सभी स्थानों पर लाउड स्पीकरों और एम्प्लीफायर के प्रयोग को विनियमित करते हैं, का भी व्यापक रूप से प्रचार-प्रसार और अनुपालन सुनिश्चित किया जाना चाहिए ।

3.9 विभिन्न प्रकार के धार्मिक जुलूसों से अक्सर साम्प्रदायिक द्वेष और झगड़े हुए हैं । अक्सर, विभिन्न प्रकार के संगठन अपनी ताकत को दिखाने के लिए भी धार्मिक अवसरों पर जुलूसों का आयोजन और प्रदर्शन करते हैं जो स्वयं दंगा भड़काने का एक कारण बन जाता है । यदि जुलूस किसी संवेदनशील क्षेत्र से होकर गुजरता है तो यह सुनिश्चित करने के लिए कि वे अनुमति प्राप्त मार्गों का प्रयोग करेंगे, धार्मिक जुलूसों के आयोजकों से पर्याप्त धन राशि जमा करने के लिए कहा जाए । उन सभी मामलों में जिनमें ऐसे जुलूसों से कोई संवेदनशीलता जुड़ी हो, तो किसी अप्रिय घटना को रोकने के लिए रास्ते पर सावधानीपूर्ण सुरक्षा प्रबंध सुनिश्चित किए जाएं और इसे सुनिश्चित करने के लिए विशेष अधिकारियों को उत्तरदायी/नामित किया जाए । यह कार्य, जुलूस के शान्तिपूर्ण आयोजन में समुदाय के सम्मानित सदस्यों की भागीदारी सन्निहित करने और उन्हें उत्तरदायित्व देने के अतिरिक्त है ।

3.10 ऐसे धार्मिक जुलूसों और जलसे की कार्यवाहियों और गतिविधियों को रिकार्ड करने के लिए वीडियो/ऑडियो कवरेज और कैमरों का प्रयोग किया जाए, विशेषकर उन मार्गों पर जो संवेदनशील हो अथवा जिन पर अप्रिय घटना होने की आशंका हो, चाहे वह बहुत कम हो । किसी प्रकार की साम्प्रदायिक अशांति हो जाने पर इन रिकार्डिंग का प्रयोग अन्य बातों के साथ-साथ अपराधियों की त्वरित पहचान करने और उन्हें अभियोजित करने में किया जा सकता है तथा यह एक निवारक के रूप में भी कार्य करेगा ।

3.11 आग्नेयास्त्रों, धारदार हथियारों, गदा, डण्डों, संक्षारक पदार्थों और विस्फोटकों आदि को रखने के कार्य को विनियमित करने के लिए समुचित उपाय किए जाने चाहिए । ऐसे उपायों में, जहां आवश्यक हो, कतिपय अवसरों पर इन्हें पुलिस के पास जमा कराने के निर्देश भी शामिल हो सकते हैं ।

3.12 इसी प्रकार, व्यक्तियों या शवों या उनके आकृतियों/पुतलों के प्रदर्शन, सार्वजनिक रूप से शोर मचाना, उत्तेजक भाषण देना या उत्तेजित करने वाली किसी वस्तु जिसमें चिह्न या इस्तहार शामिल है, के प्रदर्शन को विनियमित करने के उपाए किए जाने चाहिए ।

3.13 अफवाहों को रोकने और नियंत्रित करने के लिए कारगर और सार्थक उपाय किए जाने की आवश्यकता है । अफवाह फैलाने वालों पर यथाशीघ्र कार्रवाई की जानी चाहिए । सभी समुदायों के नेताओं के साथ संचार के माध्यम स्थापित किए जाने की आवश्यकता है और उग्र एवं भड़काऊ भाषण/उद्गार द्वारा जुनून और साम्प्रदायिक तनाव भड़काने वाले किसी भी व्यक्ति के विरूद्ध सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए । किसी प्रकार की अफवाह को तुरन्त दूर करने के लिए मीडिया और अन्य चैनलों के प्रयोग द्वारा लोगों को यथास्थिति जानकारी देनी चाहिए । अक्सर, यह देखा जाता है कि यदि कोई संकट उत्पन्न हो जाता है तो सारा प्रशासन उसमें उलझ जाता है और इस पहलू को नजरअंदाज कर दिया जाता है । सूचना प्रबंधन के लिए नोडल दायित्व और साधनों का समुचित निर्धारण किया जाना अत्यन्त महत्वपूर्ण है, तथा यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए ।

3.14 कुछ एक मौकों पर सांप्रदायिक हिंसा भड़कने के परिणामस्वरूप, विभिन्न समुदायों के सदस्यों के बीच संभावित प्रवासन सहित (तथा ऐसे प्रवास की स्थिति में संपत्ति का नुकसान) दहशत की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। ऐसी प्रतिक्रिया के प्रति संवेदनशील क्षेत्रों का पहले से ही पता लगाने तथा मॉनीटरिंग एवं निवारणात्मक उपायों को लागू करने की जरूरत है। यह भी ऐसा मामला है जो अफवाहें फैलाने एवं अतिशयोक्तिपूर्ण रिपोर्ट के लिए अधिक उन्मुख होता है तथा इस पर जिला प्रशासन द्वारा विशेष ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है।

3.15 यह सुनिश्चित करने के पर्याप्त उपाय किए जाने चाहिए कि पूजा स्थलों को कोई नुकसान न पहुंचे तथा "पूजा स्थल (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1991" के उन प्रावधानों को लागू किया जाना चाहिए जिनमें धार्मिक स्थलों एवं परिसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए कारावास की सजा तथा ऐसे अपराधों के शीघ्र विचारण के लिए विशेष अदालतों के गठन का प्रावधान है।

3.16 धार्मिक स्थलों के संबंध में किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य, उपयुक्त प्राधिकारी/सांविधिक निकाय द्वारा इससे संबंधित प्रस्तावों/योजनाओं को विधिवत रूप से अनुमोदित कर दिए जाने के बाद और इसके लिए निर्धारित स्थलों पर ही किया जाए। अप्राधिकृत धार्मिक स्थलों के निर्माण के मामलों पर मौजूदा कानूनों के अधीन कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। इस निर्णय को क्रियान्वित करने के मामले में जिला प्रशासन की ओर से की गई लापरवाही को गंभीरतापूर्वक लिया जाना चाहिए और दोषी के विरूद्ध कार्रवाई की जानी चाहिए।

3.17 धार्मिक स्थलों की पवित्रता बनाए रखने तथा राजनीतिक, आपराधिक, विघटनकारी अथवा सांप्रदायकि उद्देश्यों के लिए उनका दुरूपयोग रोकने के लिए "धार्मिक संस्थान (दुरूपयोग निवारण) अधिनियम, 1988" अधिनियमित किया गया है। इसमें, अन्य बातों के साथ-साथ प्रबंधक को यह जिम्मेदारी सौंपी गई है कि वह पूजा स्थलों के दुरूपयोग के बारे में पुलिस को इसकी सूचना देगा। इस अधिनियम में अन्य बातों के साथ-साथ, किसी पूजा स्थल के भीतर शस्त्र एवं गोला-बारूद एकत्रित करना निषिद्ध है।

3.18 यदि कोई सांप्रदायिक घटना होती है तो तत्काल ही गृह मंत्रालय को इसके बारे में एक रिपोर्ट भेजी जानी चाहिए, जिसके बाद एक विस्तृत रिपोर्ट भेजी जानी चाहिए जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ, घटना से संबंधित जिला अधिकारियों को अच्छे कार्यों के लिए पुरस्कार या लापरवाही बरतने पर दी गई सजाओं का उल्लेख हो।

4. **कार्मिक नीति**

4.1 पुलिस बल में विशेषत: सांप्रदायिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में तैनात पुलिस बल में, क्षेत्र के सामाजिक ढांचे का प्रतिनिधित्व होना चाहिए ताकि उसकी विश्वसनीयता सुनिश्चित हो सके तथा यह सभी वर्ग के लोगों में विश्वास की भावना जागृत करने में मददगार हो सके ।

4.2 समय-समय पर संस्तुत निम्नलिखित उपाय किए जाने चाहिए :-

(क) सांप्रदायिक दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्रों में रिक्तियों को वरीयता आधार पर भरने के सभी प्रयास किये जाने चाहिए ।

(ख) संवेदनशील क्षेत्रों में सांप्रदायिक सदभाव एवं शांति बनाए रखने के लिए सशस्त्र पुलिस की कम्पोजिट बटालियन का गठन किया जाना चाहिए जिसमें अ0जा0/अ0ज0जा0 समुदायों सहित सभी समुदायों के सदस्यों को शामिल किया जाना चाहिए ।

(ग) पुलिस बलों में धर्मनिरपेक्षता तथा सांप्रदायिक सदभाव की भावना जागृत करने के उद्देश्य से पुलिस बलों के प्रशिक्षण कार्यक्रमों की पुनरीक्षा करना तथा राज्य पुलिस बल के सदस्यों के लिए विशेष प्रशिक्षण/अभिमुखीकरण कार्यक्रमों का आयोजन करना ।

(घ) सिविल प्रशासन तथा सेना के बीच सुचारू कार्यकरण सुनिश्चित करने के लिए भी कदम उठाए जाने चाहिए ।

4.3 चिकित्सा राहत दलों का गठन कुछ इस तरह से किया जाना चाहिए कि जहाँ तक संभव हो सके इनमें विभिन्न समुदायों के सदस्यों का प्रतिनिधित्व हो । दल न केवल तकनीकी रूप से सक्षम होने चाहिए बल्कि इनमें पीड़ितों के प्रति सदभाव एवं सहानुभूति की भावना होनी चाहिए ।

4.4 सांप्रदायिक दृष्टि से संवेदनशील एवं दंगा संभावित क्षेत्रों में सत्यनिष्ठ, सक्षम, निष्पक्ष तथा पक्षपात रहित दृष्टिकोण वाले प्रशासनिक अधिकारियों को तैनात किया जाना चाहिए ।

4.5 प्रत्येक लोक-सेवक को किसी भी सांप्रदायिक हिंसा को रोकने के लिए, सांप्रदायिक हिंसा के पीड़ित को बचाने या संरक्षण प्रदान कराने के लिए अपने वैध प्राधिकारों का सही-सही प्रयोग करना चाहिए तथा किसी भी दुर्भावनापूर्ण कार्य या चूक से सख्ती से निपटना चाहिए । सांप्रदायिक अशांति को रोकने तथा उसे निपटाने में जिला प्रशासन द्वारा किए गए कार्यों को यथोचित सम्मान दिया जाना चाहिए ।

5. **अतिविशिष्ट व्यक्ति/गणमान्य हस्तियों का दौरा**

सांप्रदायिक अशांति के दौरान अनेक अतिविशिष्ट व्यक्ति/राजनीतिक गणमान्य व्यक्ति, लोगों में विश्वास जगाने के लिए इन क्षेत्रों का दौरा करते हैं । यह वांछनीय है कि सभी लोगों द्वारा यह सुनिश्चित करने पर अनिवार्य रूप से ध्यान दिया जाए कि स्थानीय प्रशासन द्वारा कानून व व्यवस्था बनाए रखने एवं राहत कार्य आदि के लिए किए गए उपाय योजनानुसार जारी रहें ।

6. पणधारियों की भागीदारी

6.1 यदि स्थिति नियंत्रण से बाहर हो जाती है जिसके कारण आगजनी या हिंसा होती है तो सांप्रदायिक दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्रों में छोटे दुकानदारों, उद्यमियों तथा दैनिक मजदूरों के जान-माल की हानि होने की संभावना सबसे अधिक होती है । आय या संपत्ति के नुकसान के कारण उन्हें सबसे ज्यादा आर्थिक बोझ झेलना पड़ता है क्योंकि इनमें से अधिकांश किसी प्रकार के बीमा के तहत कवर नहीं होते हैं । इसलिए ये लोग क्षेत्र में शांति एवं सांप्रदायिक सदभाव बनाए रखने में सबसे अधिक सक्रिय भागीदार हो सकते हैं । इसी प्रकार, महिलाएं जो ऐसी स्थितियों में सबसे ज्यादा आहत होती हैं, भी सांप्रदायिक सदभाव सुनिश्चित करने की इच्छुक होती हैं । जिला प्रशासन, शांति सुनिश्चित करने में इन लोगों/दलों की सहायता का उपयोग कर सकता है ।

6.2 देश में बहुत से ऐसे स्वयंसेवी संगठन हैं जो शांति, राष्ट्रीय एकता तथा सांप्रदायिक सदभाव को प्रोत्साहित करने के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं । इन संगठनों में सामान्यत: उत्साही तथा नेकनीयत वाले स्वंयसेवी तथा कार्यकर्ता होते हैं । जिला प्रशासन को ऐसे संगठनों के बारे में व्यापक जानकारी रखनी चाहिए तथा एक डाटा बेस बनाना चाहिए और सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने, सांप्रदायिक अशांति की स्थिति में तनाव को दूर करने के लिए किए जाने वाले अपने प्रयासों में इन संगठनों का सहयोग लेना चाहिए और इन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए ।

6.3 उपरोक्त के अलावा, विभिन्न संगठनों की सहभागिता, विशेषकर राहत आदि के वितरण में, का मुददा अक्सर विवाद एवं कलह का विषय रहा है । इस संबंध में उपयुक्त मानक कार्रवाई प्रक्रियाएं तैयार करने की आवश्यकता है ।

7. प्रेस/मीडिया तथा जागरूकता

7.1 सांप्रदायिक सदभाव तथा शांति को प्रोत्साहित करना प्रशासन का सतत प्रयास होना चाहिए । इसके लिए समय-समय पर सतत आधार पर एक बहु-मीडिया प्रचार-प्रसार एवं संवर्धन अभियान आयोजित करने की आवश्यकता है ।

7.2 सांप्रदायिक सदभाव की अवधारणा को प्रोत्साहित करने के लिए "कैच देम यंग" का अनुप्रेरक दर्शन अपनाया जाना चाहिए । सरकारी तथा निजी, दोनों तरह के विद्यालयों के विद्यार्थियों में अनुप्रेरक साहित्य वितरित किया जाना चाहिए तथा उन्हें सांप्रदायिक सदभाव विषय पर विभिन्न प्रतियोगिताएं एवं विचार-विमर्श आयोजित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए । नेशनल सर्विस स्कीम (एन0एस0एस0) के स्वयंसेवियों की सहभागिता को भी इसी प्रकार प्रोत्साहित किया जाना चाहिए ।

7.3 यदि कोई सांप्रदायिक घटना होती है तो एक जिम्मेदार स्तर पर मीडिया के लोगों से संपर्क करने का चैनल बनाया जाना चाहिए । इसका उद्देश्य मीडिया को सही तथ्य उपलब्ध कराना है ताकि अन्य बातों के साथ-साथ अफवाहों एवं सामुदायिक संवेदनाओं को भड़काने वाली निराधार रिपोटिंग से बचा जा सके । इलैक्ट्रॉनिक मीडिया बार-बार और लगातार किसी घटना विशेष के चित्र दिखाता है जिससे घटनाओं के बारे में अतिशयोक्तिपूर्ण धारणा उत्पन्न हो जाती हैं तथा इनसे संवेदनाएं एवं जुनून भड़कता है । इस संबंध में मीडिया की नियमित मॉनीटरिंग एवं ब्रीफिंग सुनिश्चित की जानी चाहिए ।

8. प्रवर्तन कार्य तथा मामलों की मॉनीटरिंग

8.1 जब कभी भी किसी सांप्रदायिक घटना की संभावना हो अथवा घटना घटित हो जाए तो तत्काल निवारणात्मक/प्रवर्तन कदम उठाए जाने चाहिए जिसमें आवश्यकतानुसार निषेधाज्ञा आदेश/कर्फ्यू लगाना तथा सख्त एवं निष्पक्ष रूप से इसका प्रवर्तन कराना, संभाव्य दंगाईयों/हिंसा, आगजनी आदि में लिप्त लोगों की गिरफ्तारी/हिरासत, मामलों को दर्ज करना/प्रवर्तन शामिल है ।

8.2 सांप्रदायिक हिंसा/दंगों से संबंधित सभी अपराधों के अभियोजन की मॉनीटरिंग की जानी चाहिए तथा जहां आवश्यक हो, सही एवं निष्पक्ष जांच के लिए विशेष जांच दलों (एस० आई० टी०) का गठन किया जाना चाहिए ।

8.3 संबंधित राज्य सरकारें उपरोक्त मामलों के उपयुक्त अभियोजन हेतु विशेष लोक अभियोजक नियुक्त करने पर विचार कर सकती हैं, जिन पर पुरजोर तरीके से कार्रवाई की जानी चाहिए । इस प्रकार के सभी मामलों की मॉनीटरिंग जिला स्तर पर तथा राज्य सरकार के स्तर पर की जानी चाहिए ।

8.4 सांप्रदायिक दंगों के मामलों के शीघ्र विचारण तथा निपटान के लिए स्थिति की मांग के अनुसार विशेष न्यायालयों का गठन किया जा सकता है । जब सांप्रदायिक दंगा होता है तथा जांच समिति/आयोग गठित किया जाता है तो उसे निर्धारित समय-सीमा के भीतर जांच पूरी करने का आदेश दिया जाना चाहिए । राज्य सरकारों को, समिति/आयोग द्वारा अपेक्षित सभी प्रकार की संभार-तंत्र सहायता उपलब्ध कराने को वरीयता देनी चाहिए ताकि समिति/आयोग अपनी रिपोर्ट समय पर प्रस्तुत कर सकें । इनकी सिफारिशों को जल्द से जल्द कार्यान्वित कियाा जाना चाहिए जैसे कि 3 माह के भीतर तथा केन्द्र सरकार को इस बारे में सूचित किया जाना चाहिए ।

9. राहत एवं पुनर्वास

9.1 दंगा पीड़ितों को समय पर अनुग्रह राहत भुगतान न किए जाने के कारण व्यापक असंतोष उत्पन्न हो जाता है । इसलिए राहत की शीघ्र वितरण प्रणाली ईजाद की जानी चाहिए । सांप्रदायिक हिंसा के कारण हुए किसी नुकसान अथवा क्षति के लिए व्यक्तियों को तत्काल ही अंतरिम राहत उपलब्ध कराई जानी चाहिए ।

9.2 सांप्रदायिक हिंसा के पीड़ितों को सहायता एवं राहत प्रदान करते समय यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि लिंग, जाति, समुदाय, नस्ल या धर्म के आधार पर कोई भेदभाव न हो ।

9.3 जिला प्रशासन को सांप्रदायिक हिंसा से प्रभावित क्षेत्रों में खाद्य पदार्थ, दूध, दवाईयां, पानी तथा बिजली आदि जैसे आवश्यक आपूर्ति/सेवाएं समय पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करना चाहिए ।

9.4 जहां भी राहत शिविर स्थापित करना आवश्यक हो वहां चिकित्सा जांच/सहायता आदि सहित सुरक्षा एवं अन्य उपयुक्त सुविधाओं का उचित प्रबंध किया जाना चाहिए ।

9.5 जहां आवश्यक हो, आवासीय तथा व्यापारिक संपत्ति के नुकसान के बीमा दावों के शीघ्र निपटान तथा वित्तीय संस्थानों द्वारा ऋण/ऋणों का पुनः निर्धारण आदि के माध्यम से सहायता के लिए एक उपयुक्त तंत्र तैयार किया जा सकता है ।

9.6 केन्द्र सरकार ने आतंकवाद तथा सांप्रदायिक हिंसा के पीड़ितों की सहायता के लिए एक केन्द्रीय योजना शुरू की है जिसके तहत प्रभावित परिवारों को प्रदान की गई किसी भी अनुग्रह राहत के अतिरिक्त 5 लाख रू0 के एकमुश्त भुगतान का प्रावधान है । योजना के कार्यान्वयन के लिए उपयुक्त प्रबंध सुनिश्चित किए जाने चाहिए ।

★ ★ ★ ★ ★

मधुकर गुप्ता   अ0शा0 पत्र सं0-11034/18(ए)/06-एन.आई.I(पार्ट)

गृह सचिव
भारत सरकार
नॉर्थ ब्लॉक
नई दिल्ली

दिनांक 23 जून, 2008

प्रिय मुख्य सचिव

साम्प्रदायिक सद्भाव बढ़ाने संबंधी दिशा-निर्देश तत्कालीन गृह मंत्री के दिनांक 22.10.1997 के अ0शा0 पत्र संख्या 9/42/96-सी.एच.सी. के तहत राज्य सरकारों को संप्रेषित किए गए थे । विगत अनुभवों, नई-नई एवं उभरती हुई चुनौतियों, प्रौद्योगिकी विकास आदि को दृष्टिगत रखते हुए, यह महसूस किया गया कि दिशा-निर्देशों की समीक्षा किए जाने की आवश्यकता है । संबंधित मुद्दों पर मुख्यमंत्रियो और मुख्य सचिवों/पुलिस महानिदेशकों के सम्मेलनों/राष्ट्रीय एकता परिषद की बैठकों में भी समय-समय पर चर्चा की गई हैं । इनके आधार पर साम्प्रदायिक सद्भाव संबंधी संशोधित दिशा-निर्देश तैयार किए गए हैं और उसकी एक प्रति इस पत्र के साथ संलग्न है ।

2. विगत में, अधिकतर यह देखने में आया है कि यदि समुचित सतर्कता बरती जाए, सावधानीपूर्ण आयोजना बनाई जाए और प्रारम्भिक उपायों को कार्यरूप दिया जाए तो साम्प्रदायिक हिंसा की अनेक संभावित घटनाओं पर पहले

ही नियंत्रण किया जाता सकता है और उन्हें रोका जा सकता है; और इसके बावजूद भी, यदि कहीं साम्प्रदायिक हिंसा हो जाती है तो उसे कारगर तरीके से नियंत्रित किया जा सकता है और यदि इसे तत्परता, धैर्य एवं दृढ़ता से संभाला जाए तो अधिकतर मानवीय कष्टों से बचा जा सकता है । इसके अतिरिक्त, इस बात पर अत्यधिक जोर दिए जाने की आवश्यकता है कि साम्प्रदायिक हिंसा की किसी भी तरह की घटनाओं से प्रभावित होने वाले लोगों के कष्टों का निराकरण करने के उपायों, जिसमें ऐसी हिंसा के पीड़ितों को राहत एवं पुनर्वास सहायता देने के प्रावधान भी शामिल है, की कार्ययोजना तैयार करने और उसके कार्यान्वयन पर अत्यन्त सावधानी एवं ध्यान दिया जाना अपेक्षित होगा ।

3. इस बात को ध्यान में रखते हुए दिशा-निर्देशों में विभिन्न प्रकार की कार्रवाईयों और संस्थागत प्रबंधों के संबंध में सुझाव दिए गए हैं, जिनका कार्यान्वयन पुलिस थाने से लेकर राज्य सरकार स्तर तक के विभिन्न स्तरों पर करने की आवश्यकता होगी । मुझे विश्वास है आप इस बात से सहमत होंगे कि यदि विभिन्न स्तरों पर इनके बारे में उचित और व्यवस्थित ध्यान दिया जाए तो हम काफी हद तक, बार-बार, छोटी-छोटी और छुटपुट घटनाओं पर साम्प्रदायिक झगड़े और हिंसा भड़काने से होने वाले तनाव की संभावनाओं और इन घटनाओं को कम करने के अपने साझा लक्ष्य और उद्देश्य को पूर्ण कर पाने की दिशा में; और, इसके बावजूद भी कुछ एक दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं के होने पर प्रभावित लोगों के मन में सुरक्षा और विश्वास की आवश्यक भावना पैदा कर पाने और मदद व राहत मुहैया कराने में सक्षम हो सकेंगे ।

4. ये दिशा-निर्देश केवल निदर्शी स्वरूप के हैं और इनमें आगे और पहल करने तथा सृजनात्मक कार्रवाईयों और उपायों की हमेशा गुंजाइश रहेगी । अनुरोध है कि सभी संबंधितों को अपेक्षित निर्देशों एवं अनुदेशों के साथ इन दिशा-निर्देशों

के बारे में अवगत कराया जाए और उन्हें ये दिशा-निर्देश परिचालित किए जाए। आपके द्वारा व्यक्तिगत रूप से ध्यान देने और अपने स्तर पर आवधिक समीक्षा करने से इनकी संचलानात्मक प्रभावकारिता और दिशा-निर्देशों में निहित साम्प्रदायिक सद्भाव के व्यापक लक्ष्य को प्राप्त करना काफी हद तक सुनिश्चित हो सकेगा।

5. अनुरोध है कि इस पत्र को माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष भी प्रस्तुत किया जाए।

सादर,

आपका,

(मधुकर गुप्ता)

सभी राज्यों/संघ शासित क्षेत्र के प्रशासन के मुख्य सचिव।